मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–24.06.2025 को सभी जिला पदाधिकारी के साथ खान एवं भूतत्व विभाग के मुद्दों पर आहूत बैठक की कार्यवाही :–

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–24.06.2025 को सभी जिला पदाधिकारी के साथ खान एवं भूतत्व विभाग के मुद्दों पर आहूत समीक्षात्मक बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। समीक्षा के क्रम में दिये गये निदेश निम्नवत् है :–

1. अनुमण्डल स्तरीय समिति से नीलाम न हो सकने वाले बालूघाटों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
2. अनीलामित एवं प्रत्यार्पित बालूघाट तथा जप्त बालू की नीलामी अविलम्ब कराया जाय।
3. ई–नीलामी हेतु तीन प्रयास के बाद भी नीलामी नहीं होने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित जमा पुर्ननिर्धारण की अनुशंसा विभाग को भेजे जाने हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष विमर्श कर निर्णय लिया जाय।
4. मानसून अवधि में नदी क्षेत्रों से बालू का खनन प्रतिबंधित रहता है एवं सेकेण्डरी लोडिंग / भण्डारण अनुज्ञप्ति से बालू बिक्री किया जाता है। सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर भण्डारित बालू की ड्रोन सर्वे से मापी करा ली जाय ताकि यह सुनिश्चित हो कि कैपिंग के तहत ही खनन किया गया है।
5. पत्थर भूखण्डों के संबंध में गया, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, बांका एवं कैमूर जिले में जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कराया जाय।
6. नीलामित, अनीलामित एवं प्रत्यर्पित बालूघाटों का नियमित निरीक्षण कराया जाय।
7. वैसे जिला खनन कार्यालय, जो निजी भवन में अवस्थित है, उन्हें शीघ्र समाहरणालय या किसी अन्य सरकारी भवन में स्थानान्तरित किया जाय।
8. सरकारी कार्य परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिज का वास्तविक स्त्रोत एवं तत्संबंधी परिवहन चालानों तथा स्वामिस्व का विश्लेषण कराया जाय। जिस खनिज मात्रा का चालान प्रस्तुत न किया जाए, उसके संदर्भ में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के तहत कार्रवाई की जाय।
9. विभिन्न कार्य विभागों एवं पंचायतों को अनिलामित बालूघाटों की सूची प्रेषित करते हुए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 78 के तहत बालू खनन के लिए पट्टा प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाय, जिससे कि कार्य विभागों के ऐजेंसियों को बिना किसी व्यवधान के सुव्यवस्थित ढंग से बालू उपलब्ध हो सके।
10. वाहनों के अधिहरण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् वाहनों के इंजन नं० तथा चेसिस नं० का मिलान कराकर ही नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय। नीलामी से संबंधित आंकड़ों का संधारण किया जाय तथा नीलामी से प्राप्त राशि को ससमय विभागीय शीर्ष में जमा किया जाय।

ह0 / –
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांकः— विविध (बैठक)—17/2024—............................../एम0, पटना, दिनांकः—.................

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
निदेशक, खान

ज्ञापांकः— विविध (बैठक)—17/2024—............................../एम0, पटना, दिनांकः—.................

प्रतिलिपिः— सभी समाहर्त्ता, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
निदेशक, खान

ज्ञापांकः— विविध (बैठक)—17/2024—............................../एम0, पटना, दिनांकः—.................

प्रतिलिपिः— सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
निदेशक, खान

ज्ञापांकः— विविध (बैठक)—17/2024—............................../एम0, पटना, दिनांकः—.................

प्रतिलिपिः— माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
निदेशक, खान

ज्ञापांकः— विविध (बैठक)—17/2024—3485/एम0, पटना, दिनांकः—26/06/25

प्रतिलिपिः— आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/6/25
निदेशक, खान